जनपद - संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनाँक 31.01.2025

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 07 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना धनघटा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना महुली पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना बखिरा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3316 द्वारा मारपीट में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 3316 थाना बेलहरकला क्षेत्रांतर्गत बेलहरकला बाजार से महिला कालर द्वारा मारपीट में घायल 01 व्यक्ति (विवेक साहनी पुत्र शत्रुघ्न साहनी निवासी बेलहर बाजार थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर उक्त घायल व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया । घटना के सम्बन्ध में थाना बेलहरकला को अवगत कराया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर मारपीट में घायल व्यक्ति को ईलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया । जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी ।

पीआरवी स्टाफ- आ० अतुल कुमार, हो०चा0 दुर्गा प्रसाद तिवारी ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 85 वाहनों से 99,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 31.01.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 85 वाहनों से 99,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 02 स्थानो पर लगवाये गये 06 सीसीटीवी कैमरें

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे आपरेशन त्रिनेत्र हर घर कैमरा अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में आज दिनांक 31.01.2025 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 02 स्थान पर 06 सीसीटीवी कैमरें लगवाये गये । थाना धनघटा पुलिस द्वारा 01 स्थानो पर 03 कैमरा व थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 01 स्थान 03 कैमरें लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया । संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरुर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा ।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट व सम्पति को क्षति पहुँचाने के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास व कुल 50,000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 31.01.2025 को विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना धनघटा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 573/2011 धारा 323/504/506/436 भादवि व 3(1)(x) एससी/एसटी एक्ट में अभियुक्त झिन्नान यादव उर्फ रामजीत यादव पुत्र रामफेर निवासी चकिया थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर। अभियुक्त झिन्नान यादव उर्फ रामजीत यादव को मुकदमा उपरोक्त में धारा 436 भादवि के अपराध के लिये आजीवन कारावास व 50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। वादी मुकदमा हरिराम को अर्थदण्ड की सम्पूर्ण धनराशि में से आधी धनराशि प्रदान की जाए।